न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 21/2020

प्रार्थीगण :— 1. बाबुराम पुत्र रूपाराम
2. रूधाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासीयान, बोरानाडा तहसील लूनी जिला जोधपुर हाल मोरडा तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. दौलाराम पुत्र नारायणराम
2. जेठाराम पुत्र नारायणराम
3. गोरधनराम पुत्र नारायणराम
4. श्रीमर्ती कीर्ति चौधरी पत्नि डां0 ओम प्रकाश चौधरी
5. सुमित्रादेवी पत्नि वेनाराम
6. भैराराम पुत्र जेरामराम सभी जाट निवासी बोरानाडा तह. लूनी, जोधपुर
7. गफूरखां पुत्र कमूखां जाति मुसलमान
8. रमजानखां पुत्र कमूखां जाति मुसलमान निवासी मोरडा
9. किरताराम पुत्र शेराराम जाति जाट नि0 मोरडा
10. कमला पत्नी गोबरराम जाति मेघवाल नि0 सरवडी
11. वीरमराम पुत्र भगााराम जाति जाट नि0 नन्दवाडा तह. लूणी हाल मोरडा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0</u>
<u>बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपस्थित :—
1. श्री पूनमाराम चौधरी प्रार्थीगण वकील

<u>'आदेश'</u>

दिनांक :— 22.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा मोरडा पटवार हल्का कांकराला भू. अभि. कल्याणपुर तहसील पचपदरा के खसरा न0 151/16 रकबा 108 बीघा मे आई हुई है । प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 11 उपरोक्त खातेदारी [illegible] पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 5 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के [illegible] होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओं [illegible] बाउण्ड्री को लेकर भारी [illegible] व्याप्त है। विप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 नाजायज तौर से [illegible]र्थीगण के खेत की सेढा मा[illegible] तोडते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थीगण के कब्जा काशत में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 18.02.2020 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, प्रार्थीण के दिनांक 19.06.2019 को अपनी खातेदारी की पैमाईश कराई तब सेढ़ा पडौसी खातेदारी सहमत नही हुए ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा मोरडा पटवार हल्का कांकराला भू. अभि. कल्याणपुर तहसील पचपदरा के खसरा न0 151/16 रकबा 108 बीघा विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक कल्याणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि नेखमबंदी करने से पूर्वएक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर वे दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है। जिसे प्रार्थीगण कमिश्नर शुल्क अदा करें । पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 22.01.2021 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned with CamScanner